

छब्बीस-२ सचिवालय

आर. क्रमांक- 113 /2016/42-1

W.P.No. 3633/2015 हारा श्री आफ्रेत त्यांकी विद्यां विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य।

-::0::-

पूर्व पृष्ठ से :-पूर्व पृष्ठ से

विषय :

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संचीलक, तकनीकी शिक्षा, अमध्यप्रदेश.

अवर सचिव. मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,

स्थालड तडनीडी क्रिआ द्वारा प्रभारि अबि. निम्प्रित के ओखा जारी कर हिमें हैं। अतिस्रव अरोजा जारी करेंने हें। नाती निक्ष विभाग श्री अंडित करना चाटमे

अस्मिः

(बिर्ध विमार्ग)

Now 117/113/16/42-1

कमांक/8/कोर्टकेस/डी/16 | 234 दिनांक | 6 / 3 / 2016

उनिशाकेमुभो-22-9-15-5,00,000.

8497

05 2

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at GWALIOR

569

Process Id: 38952/2015

WP/3033/2015

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior ### 113 | 12-1 | (

FOR ADMISSION
Fixed for 04-02-2016
DA- 01
Respondent No. 1

To,

The State of Madhya Pradesh, Thr.
Principal Secretary, Ministry of Technical
Education, Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 29-12-2015

RAD

Co?

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 3033/ 2015

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one **Amit Tyagi / Bairagi** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/3033/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER

Section Officer

High Court Of Madhya Pradesh

Bench Gwalior



i



तकनीकी शिक्षा संचालनालय, गध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004.

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 29/1/2016 क्रमांक /8/कोर्टकेस/डी/2015/92 / मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र कमांक 705/146/2010/42-1 दिनांक 7.4.2010 द्वारा संचालक,तकनीकी शिक्षा को प्रदत्त अधिकारों के तहत श्री अमित त्यागी आठस्व.श्री देवीदास वैरागी(चतुर्ध श्रेणी कर्मचारी) द्वारा राज्य शासन एवं अन्य के विरुद्ध मान्नीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, वैंच ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत उद्ध्यूपी.कमांक 3033/2015 में शासन की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षण करने, प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं अमिकथन पत्रों पर हस्ताक्षर करने आदि के लिये प्राचार्य पोलीटेकनिक महाविद्यालय, अशोकनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

्रेट्ड संचालकी त्रक्लीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश.

पृष्ठा. क्रमांक/8/कोर्टकेस/डी/2015/93 /भोपाल,दिनांक २९/1/2016 प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।

2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैंच ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से प्रकरण का पक्ष समर्थन करने का कष्ट करें ।

4. समन्वय अधिकारी पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर ।

5 प्राचार्य पोलीटेकनिक महाविद्यालय, अशोकनगर । आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल शासकीय अधिवक्ता के मार्गदर्शन में वादोत्तर तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। तथा प्रस्तुत वादोत्तर की तीन प्रति सहपत्रों सहित संचालनालय को भेजें। प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता से तुरन्त सम्पर्क साधकर समुचित वादोत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाय।

(अ) संचालक तकनीकी शिक्षा को समय—समय पर स्थिति से अवगत कराया जाये व प्रकरण का अन्तिम निराकरण होने के उपरांत माननीय न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करें और उस पर शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता का मत तुरन्त प्राप्त करें और उनके निर्णय/मत का तथ्यात्मक रूप से पूर्ण परीक्षण करके स्वयं के मत से भी अवगत करावें और शासकीय अधिवक्ता एवं अपने मत सहित समय पर संचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करावे।

(ब) यदि प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय गलत हो अथवा उसमें तांत्रिक त्रुटि हो तो उसके विरूद्ध शासन की ओर से माननीय न्यायालय में अपील पुनरीक्षण अथवा पुनरावलोकन याधिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही समय पर ही की जाय और की गई कार्यवाही से संचालनालय एवं शासन को उक्त याचिका की प्रति सहित अवगत कराया जाये ।

(स) प्रकरण में शासन हित संरक्षण में हुए किसी भी प्रकार के विलम्ब/गलती/हानि के लिये प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।

 अधीक्षक, उपविभाग–3 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल । कृपया प्रभारी अधिकारी से आवश्यतानुसार प्रकरण में पत्र व्यवहार सीधे करें।

> ्रसंचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश.